अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

गंगा राम मालतो
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–दरवास माको न0 9P

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 46/2019-20 ....जिला–साहेबगंज

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और ता० सहित
1	2	3
17-8-19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 558/रा0 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा मौजा– दरवास माको न0–9P के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– दरवास माको न0–9P में दिनांक 16.07.2019 को श्री दांगु पहाडिया, के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गंगा राम मालतो, पिता–स्व0 जोंगलो पहाडिया, ग्राम–रोड़ो पहाड़, को मौजा– दरवास माको न0–9P में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–दरवास माको न0–9P एक प्रधानी व बेचिरागी मौजा है। जिसमें प्रधानी पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा राम मालातो पिता–स्व0 जोंगलो पहाडिया, ग्राम–रोड़ो पहाड, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। गंगाराम मालतो पूर्व बहाल प्रधान के वंशज है। ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यो में बड़–चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते है। अतएव गंगा राम मालतो प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक गंगा राम मालतो को मौजा– दरवास माको थाना न0–9P, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। (हस्ताक्षर) अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 421/ नि० दिनांक 31-8-19